International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में भौगोलिक संकेतों का प्रोत्साहन और क्षेत्रीय विकास

Promotion of Geographical Indications (GIs) in India

Ms. Vinita Rathore Rathore

LLM, Law, Sage University INDORE

शोध सार/Abstract

हर भौगोलिक क्षेत्र का अपना नाम और प्रसिद्धि होती है। ज्यादातर कुछ वस्तुओं के गुण और विशेषताएं जो कुछ भौगोलिक स्थानों से संबंधित होती हैं और जिन्हें "कुछ क्षेत्र की उपज के रूप में" माना जाता है, भौगोलिक संकेत (जीआई) के अंतर्गत आती हैं। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है। यह समीक्षा भारत में भौगोलिक संकेतों के अतीत और वर्तमान परिदृश्य को अवलोकन प्रदान करती है। शोध के विश्लेषण में हम भारत में भौगोलिक संकेतों के लिए प्रोत्साहन तथा इनके क्षेत्रीय विकास का अध्ययन करेंगे।

1. परिचय/Introduction

भारत में भौगोलिक संकेत (जीआई) से तात्पर्य ऐसे उत्पाद से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होता है तथा अपने भौगोलिक उद्गम के कारण अद्वितीय विशेषताएं रखता है, जिससे उसे कानून द्वारा संरक्षित किया जा सकता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करके तथा किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। उदाहरणों में दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम रेशम साड़ियां तथा अल्फांसो आम शामिल हैं, जो सभी अपने विशिष्ट भौगोलिक उद्गम से जुड़ी मान्यता तथा प्रीमियम मूल्य से लाभान्वित होते हैं।

भौगोलिक संकेत एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसका उपयोग मूल रूप से उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के संबंध में सुरक्षा के लिए किया जाता है, और इसके पीछे विचार यह है कि उस उत्पाद के गुण उत्पादन के संबंधित स्थान से प्राप्त होते हैं। चूंकि भौगोलिक संकेत आमतौर पर उस विशेष क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से निकटता से जुड़ा होता है, इसलिए भौगोलिक

संकेत न केवल इन परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करता है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और पहचान को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

1.1. भारत में भौगोलिक संकेतों के अतीत और वर्तमान विकास

प्राचीन काल से, भौगोलिक संकेत विशिष्ट वस्तुओं के लिए सबसे आम और लोकप्रिय कार्य रहे हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते के आने से पहले, तीन अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समझौते थे जो भौगोलिक संकेत के संरक्षण के मुद्दे पर काम कर रहे थे।

पेरिस सम्मेलन

पेरिस सम्मेलन ने 1883 की औद्योगिक (इन्डस्ट्रीअल) संपत्ति सुरक्षा का प्रतिनिधित्व किया, जिसने अधिक व्यापक और विस्तृत उपायों के माध्यम से फर्जी और धोखेबाज संकेतों को सीमित किया। इसने भौगोलिक संकेतकों को उत्पत्ति के स्रोतों या पदवी के संकेत के रूप में परिभाषित किया।

उत्पत्ति का पदवी एक विशेष प्रकार का भौगोलिक संकेत है जिसका उल्लेख इस सम्मेलन के तहत किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है।

मैड्रिड समझौता

1989 के माल पर स्रोतों के झूठे और भ्रामक संकेतों के दमन के लिए मैड्रिड समझौते ने स्पष्ट रूप से भौगोलिक संकेतों को गैर-विशिष्ट शर्तों में कमजोर करने और इसे कमजोर करने में बाधा डालने का लक्ष्य रखा। इसने भौगोलिक संकेतों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान की क्योंकि इसने झूठे संकेतों के साथ-साथ भ्रामक संकेतों को भी प्रतिबंधित किया।

लिस्बन समझौता

1958 का लिस्बन समझौता भौगोलिक विज्ञान में एक मजबूत बीमा पॉलिसी अंतरमहाद्वीपीय इन-रोल टकसाल व्यवस्था प्रदान करता है। इसने मूल गारंटी की अपील सुनिश्चित की। इसने अपीलों के लिए मजबूत सुरक्षा की पेशकश की।

उपर्युक्त तीन सम्मेलनों की विशेषताएं, कुछ अतिरिक्त सम्मेलनों के साथ मिलकर, दुनिया में भौगोलिक संकेतों के खिलाफ बौद्धिक संपदा अधिकार समझौतों के व्यापार-संबंधी पहलुओं की रक्षा करती हैं।

ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22 में भौगोलिक संकेत को एक ऐसे संकेत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं जो मूल रूप से उस विशेष भौगोलिक स्थान के कारण होती हैं।

परिणामस्वरूप, 1999 में भारत को भौगोलिक संकेत के संरक्षण के लिए सुई-जीनिस कानून के सदस्य राज्य के रूप में ट्रिप्स समझौते को शामिल किया गया। इसी के परिणामस्वरूप भारत ने भौगोलिक

संकेतक माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 पारित किया जिसके तीन उद्देश्य हैं:

1. देश में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनों द्वारा, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा कर सकते हैं,
2. भौगोलिक संकेतों के दुरुपयोग से अनाधिकृत व्यक्तियों को बाहर रखना, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना, तथा
3. निर्यात बाजार में भारतीय भौगोलिक स्थिति वाले सामानों को बढ़ावा देना।

1.2. भौगोलिक संकेतों की परिभाषा

अधिनियम की धारा 2 (1) (e) के अनुसार, भौगोलिक संकेत को एक संकेत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसे सामानों की पहचान (कृषि वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं या विनिर्मित वस्तुओं के रूप में) करता है, जो किसी देश के विशेष क्षेत्र में उत्पन्न या निर्मित होती हैं या उस क्षेत्र या इलाके में, जहां इन वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल के कारण होती है।

1.3. वैधता

भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

1.5. विषय जो भौगोलिक संकेत के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं

पंजीकरण के लिए, संकेत भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 की धारा 2(1) के दायरे में आने चाहिए। जब ऐसा होता है, तो उसे धारा 9 के प्रावधानों को भी पूरा करना होगा, जो भौगोलिक संकेत के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाता है।

- जिसके प्रयोग से भ्रम या उलझन पैदा हो; या
- जिसका उपयोग किसी कानून के अधिनियमन के समय के विपरीत होगा; या
- जिसमें मानहानिकारक या अशिष्ट विषय शामिल है या है; या
- जिससे किसी भी समय बलपूर्वक चोट लगने या लगने की संभावना हो; भारत के किसी वर्ग या नागरिकों की धार्मिक संवेदनशीलता; या
- जिसे अन्यथा न्यायालय में संरक्षण हेतु नष्ट कर दिया जाएगा; या
- वे जो सामान्य नामों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए निर्धारित हैं और इसलिए, उनके मूल देश में संरक्षित किए जाने के लिए या जो उस देश में उपयोग में नहीं हैं; या
    - हालांकि, यह वास्तव में सच है क्योंकि जिस क्षेत्र या इलाके में माल उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति के बारे में गलत जानकारी देता है कि माल किसी अन्य क्षेत्र, प्रदेश या इलाके में उत्पन्न होता है,

जैसा भी मामला हो।

1.6. जीआई टैग के लाभ

1. जीआई टैग किसी उत्पाद की प्रतिष्ठा और विशिष्टता की रक्षा करने में मदद करता है। यह नाम या संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि उपभोक्ताओं को असली उत्पाद मिले और उत्पादकों को नकली उत्पादों से नुकसान न हो। जीआई टैग किसी उत्पाद की बिक्री और कीमत प्राप्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और प्रामाणिकता की गारंटी प्रदान करता है। यह उन उत्पादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचे जाते हैं।
2. जीआई टैग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यह उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। यह क्षेत्र में पर्यटकों और निवेश को आकर्षित करता है। जीआई टैग नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह उत्पादकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

2. सरकारी पहल

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) - (जीआई उत्पादों को बढ़ावा)

यह देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। अवधारणा यह है कि प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार किया जाए (एक जिला - एक उत्पाद) ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुगम बनाया जा सके। इस प्रयास का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट विशेषताओं को पहचानकर और बढ़ावा देकर तथा स्थानीय उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करके स्थानीय आर्थिक विकास में सुधार करना है।

पहले चरण में, कृषि, हस्तशिल्प, वस्त्र और विनिर्माण जैसे विविध उद्योगों से 106 उत्पादों का चयन किया गया था। पहल ने अब सभी 761 जिलों को कवर करने वाली वस्तुओं की एक अधिक व्यापक सूची को अंतिम रूप दिया है। 106 ODOP सामान 80 GI उत्पादों से बने थे। यह स्थानीय समुदायों और उनके विशिष्ट उत्पादों के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। ODOP कार्यक्रम द्वारा अब तक पाए गए GI टैग वाले 400 से अधिक उत्पादों में से 160 से अधिक को हाइलाइट किया गया है, जो क्षेत्रीय वस्तुओं और उद्योगों के विस्तार और मान्यता को बढ़ावा देने के लिए GI टैग का उपयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ODOP के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा रही हैं:

उत्पाद कार्रवाई रिपोर्ट

ओडीओपी परियोजना के तहत भौगोलिक संकेत (जीआई) वस्तुओं के लिए कार्य योजना पर विस्तृत रिपोर्ट विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। ये दस्तावेज आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा बाधाओं को उजागर करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए संभावित समाधान प्रदान करते हैं। रिपोर्ट में निर्यात आयात (ईएक्सआईएम) विश्लेषण, हितधारकों की चिंताओं और मुद्दों पर प्राथमिक शोध, और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संगठनों द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कार्यों और कार्रवाई-उन्मुख कदमों की सूची शामिल है।

क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) और बाजार संबंध बनाना

व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए, ओडीओपी परियोजना ने विभिन्न जीआई वस्तुओं पर कई क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की हैं, जिनमें शामिल हैं:

- कृषि वस्तुएँ जैसे आम (अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली, और जर्दालू); केले (जलगांव); और मिर्च (गुंटूर, नागा)।
- कपड़ा जैसे रेशम (मुगा, बनारसी, भागलपुर), हथकरघा (पश्मीना, ज़री-ज़रदोज़ी), और साड़ी (पश्मीना, ज़री-ज़रदोज़ी)।
- हस्तशिल्प जैसे उत्तर प्रदेश से सहारनपुर काष्ठकला, कर्नाटक से बिदरीवेयर और गुजरात से संखेडा फर्नीचर।

ओडीओपी पहल के तहत, दुनिया भर में विभिन्न भारतीय दूतावासों के साथ साझेदारी में क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों की योजना बनाई गई है। स्थानीय भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम जापान, रूस, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब और ताइवान सहित कई देशों में आयोजित किए गए हैं।

प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

भौगोलिक संकेत (जीआई) वाले उत्पादों के प्रचार में सहायता के लिए, ओडीओपी कारीगरों और उत्पादकों के साथ मिलकर उनके कौशल को उन्नत करने और उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए काम करता है। असम के कामरूप से मुगा सिल्क और राजस्थान के राजसमंद से मोलेला क्राफ्ट के कारीगरों के लिए, ओडीओपी ने डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। यह कार्यक्रम कलाकारों को अपने उत्पादों को आधुनिक बनाने और शिल्प की मौलिकता और प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए उनकी बाजार क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रदर्शन और जागरूकता सृजन

भौगोलिक संकेत (जीआई) वाले उत्पादों के लिए, ओडीओपी एक ब्रांड पहचान बना रहा है जिसका उपयोग

सोशल मीडिया पोस्टिंग और क्रिएटिव सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 2022 के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीआई मंडप जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर जीआई वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई।

3. भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में जीआई का महत्व

दुनिया भर में कुछ समुदाय अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर उनकी आजीविका अत्यधिक निर्भर है। जीआई लेबल इन वस्तुओं को मान्यता देता है और साथ ही उनके आपूर्तिकर्ताओं की आर्थिक आजीविका की रक्षा भी करता है। ये विशेष उत्पाद अक्सर सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े होते हैं, और वे शिल्प कौशल, समुदाय और सभ्यता के लंबे इतिहास को उजागर करते हैं। जीआई टैग निर्माताओं को अपने उत्पादों को अलग पहचान देने और उन्हें प्रामाणिक के रूप में बेचने में सक्षम बनाता है, जिससे कारीगरों, रसोइयों और अन्य पेशेवरों की भावी पीढ़ियों को अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने में मदद मिलती है।

ग्रामीण समावेशिता: जीआई-लेबल वाले पारंपरिक उत्पाद न केवल प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक तरीकों के सामंजस्य के माध्यम से स्थानीय चरित्र का प्रतीक हैं, बल्कि पुरानी यादों की भावना भी जगाते हैं। ये उत्पाद निवासियों को अपनेपन का एहसास दिलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पहचान के बारे में जानने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एक आकर्षक उपकरण हैं।

सकारात्मक बाह्यता: जीआई लेबलिंग से पेशेवरों को औद्योगिक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के खिलाफ़ अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। टैग प्रीमियम ब्रांड मूल्य अर्जित करके और निर्यात बढ़ाकर विरासत के निर्माण और स्थानीय राजस्व जुटाने में योगदान करते हैं। इसके अलावा, जीआई-टैग किए गए उत्पाद स्थानीय रोजगार विकास में योगदान करते हैं, जो ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करने, आजीविका को बनाए रखने और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन वस्तुओं में आपूर्ति श्रृंखला के साथ आय और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाकर सकारात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी है।

3.1. अन्य महत्व

1. **विशिष्ट उत्पादों का संरक्षण**

जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के केवल वास्तविक उत्पादक ही उस उत्पाद को उसके नाम से बेच सकते हैं। यह अनधिकृत उपयोग को रोकता है और भारत में जीआई टैग उत्पादों की प्रामाणिकता बनाए रखता है , जिससे पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बाहरी संस्थाओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके।

2. **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा**

भारत में 2024 में जीआई टैग स्थानीय कारीगरों और किसानों को बेहतर पहचान दिलाने में मदद करते हैं। भारत में जीआई टैग उत्पादों की विशिष्टता उनके बाजार मूल्य को बढ़ाती है, जिससे अधिक आय होती है। यह स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करता है और विभिन्न राज्यों में स्वदेशी उत्पादन तकनीकों को संरक्षित करता है।

3. **भारतीय हस्तशिल्प और कृषि को बढ़ावा देना**

भौगोलिक संकेत टैग भारत की समृद्ध शिल्पकला और कृषि उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौगोलिक संकेत के तहत उत्पादों को आईपीआर में मान्यता देने से ब्लैक राइस जीआई टैग जैसी अनूठी कृषि किस्मों और गोंड पेंटिंग जीआई टैग जैसे हस्तशिल्प की नकल होने से सुरक्षा मिलती है।

4. **निर्यात में वृद्धि और वैश्विक मान्यता**

जीआई टैग सूची से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। बासमती चावल और बनारसी साड़ी जैसे मान्यता प्राप्त उत्पादों की मांग अधिक होती है। जीआई टैग सूची 2023 और जीआई टैग सूची 2020-21 की कई वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है।

5. **पारंपरिक ज्ञान संरक्षण को प्रोत्साहन**

जीआई टैग का पूरा नाम भौगोलिक संकेत है , जो प्रत्येक उत्पाद के पीछे के सांस्कृतिक ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करता है। मधुबनी पेंटिंग और पश्मीना शॉल जैसी वस्तुएं भारत के सदियों पुराने कौशल को दर्शाती हैं। भारत में ये भौगोलिक संकेत स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करते हैं।

6. **दोहराव के विरुद्ध कानूनी संरक्षण**

जीआई टैग का पूरा नाम किसी उत्पाद पर किसी विशिष्ट क्षेत्र के कानूनी अधिकार को दर्शाता है। यह अनधिकृत संस्थाओं को उत्पाद के नाम का दुरुपयोग करने से रोकता है। जीआई टैग सूची में शामिल उत्पादों को भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 के तहत संरक्षित किया जाता है , जिससे विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।

7. **टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन**

कई भौगोलिक संकेत उदाहरण उत्पादन में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में जीआई टैग पारंपरिक जैविक खेती, पर्यावरण के अनुकूल बुनाई और हाथ से बनी कलात्मकता को संरक्षित करने में मदद करता है। मार्चा चावल और कांजीवरम साड़ी जैसी वस्तुएं पीढ़ियों से चली आ रही पर्यावरण के अनुकूल विधियों को प्रदर्शित करती हैं।

8. **सांस्कृतिक एवं विरासत मान्यता**

भारत में जीआई टैग सूची उत्पादों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। ब्लू पॉटरी के लिए राजस्थान का जीआई टैग और रोसोगुल्ला के लिए पश्चिम बंगाल का जीआई टैग जैसे उत्पाद भारत की विविध विरासत को दर्शाते हैं। जीआई टैग का मतलब भारत की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

9. **रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास**

उत्पादों का जीआई पंजीकरण ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जीआई टैग राज्यवार डेटाबेस से मान्यता प्राप्त उत्पाद लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग और गुजरात के जीआई टैग में वे उत्पाद शामिल हैं जो ग्रामीण कारीगरों का समर्थन करते हैं।

10. **भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) को सुदृढ़ बनाना**

आईपीआर में भौगोलिक संकेत भारत की क्षेत्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक संरचित प्रणाली प्रदान करते हैं। भारत में कितने जीआई टैग श्रेणियों से आइटम आधिकारिक मान्यता प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी अनधिकृत नकल को रोका जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कर्नाटक इस तरह की सुरक्षा से लाभान्वित होता है।

3.2. भौगोलिक संकेतक का विधितः महत्व

- एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
- किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
- GI टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

4. अध्ययन के उद्देश्य

1. भौगोलिक संकेत के प्रोत्साहन के लिए उठाए गए कदम ।
2. भौगोलिक संकेतक उत्पत्ति स्थल के कारण किसी उत्पाद के विशेष गुणो या पहचान को निरूपित करना और इनके क्षेत्रीय विकास का अध्ययन करना।
3. भारत में भौगोलिक संकेत के संरक्षण हेतु कानून को समझना।

5. साहित्य की समीक्षा

भौगोलिक संकेत (Geographical Indications - GI) के क्षेत्र में किए गए शोध और विभिन्न स्रोतों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जीआई न केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, अपितु यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय अर्थव्यवस्था के संरक्षण का भी माध्यम बन चुके हैं। भारत में जीआईं के विकास की यात्रा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर वर्तमान तक अनेक पहलुओं को समेटे हुए है।

भौगोलिक संकेतों की संकल्पना की जड़ें पेरिस सम्मेलन (1883), मैड्रिड समझौता (1891), तथा लिस्बन समझौता (1958) में निहित हैं। इन अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों ने GI को एक विशिष्ट पहचान देने के साथ-साथ उनके दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। विशेषतः ट्रिप्स समझौता (TRIPS Agreement, 1995) के अनुच्छेद 22 ने GI को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्रदान की।

भारत ने ट्रिप्स समझौते के अनुपालन में 'भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' को पारित कर GI के पंजीकरण और संरक्षण के लिए ठोस कानूनी ढांचा विकसित किया।

भारत सरकार की ODOP पहल भौगोलिक संकेतों को ज़मीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास है।

GI उत्पाद न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे - दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, मधुबनी चित्रकला, इत्यादि उत्पाद पारंपरिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय विशिष्टताओं के संवाहक हैं।

6. कार्यप्रणाली

- प्रस्तावित अध्ययन की शोध पद्धति सैद्धांतिक का प्रयोग किया गया।
- डेटा स्रोत: WIPO, WTO, IP India (ipindia.gov.in), ibef.org/giofindia की आधिकारिक वेबसाइट जैसे द्वितीयक स्रोत तथा रिपोर्टें और डेटाबेस (जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स)।
- सरकारी रिपोर्टें: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की रिपोर्टें।
- साहित्य, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार आइटम आदि से अध्ययन।
- कानूनी पत्रिकाएं और ब्लॉग: आईपीआर से संबंधित कानूनी फर्मों और संस्थानों के विश्लेषण।

7.परिणाम

भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को नियंत्रित करने वाली प्रशासनिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। आईपीआर कार्यालयों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से बनाई

गई परियोजनाओं को आवेदन प्रक्रिया को छोटा करने, इसे अधिक सुविधाजनक बनाने और घरेलू उत्पादों को आईपीआर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने जीआई को बढ़ावा देने और विपणन के लिए विभिन्न उपायों में से एक के रूप में एक मानक लोगो और टैगलाइन लॉन्च की है।

8. निष्कर्ष

यह कहना गलत नहीं होगा कि भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 अभी भी विकसित हो रहा है और इसके उल्लंघन से सुरक्षा के लिए इसकी जड़ें अभी भी बहुत मजबूत नहीं हैं। जीआई कानून भारत के लिए नए हैं और उल्लंघन के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सख्त व्याख्या की आवश्यकता है। किसी भी उत्पाद के मूल या निर्माण के स्थान को जीआई के तहत उचित महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसा स्थान अपनी जलवायु, स्थान आदि के कारण असाधारण रूप से विशिष्ट होता है। जीआई को पंजीकृत करने से पहले इसकी पात्रता के लिए सभी मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक उद्यमी उन उत्पादों को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं और हर ग्राहक मानक गुणवत्ता वाला मूल उत्पाद चाहता है, लेकिन विक्रेता लाभ के लिए धोखाधड़ी से नकली सामान बेचते हैं। हर देश में वस्तुओं की एक अलग किस्म होती है जो उसकी समृद्ध संस्कृति, जलवायु परिस्थितियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण होती है और भारत एक विविध देश है, हर दृष्टि से एक अलग राज्य है जो अपनी संबंधित संस्कृति में समृद्ध है, इसलिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उन उत्पादों को संरक्षित किया जाना चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

6. साहित्य के प्रति निर्देश

https://blog.ipleaders.in/geographic-indication-law-in-india/
https://testbook.com/ias-preparation/geographical-indication-tags-in-india
https://ipindia.gov.in/faq-gi.htm
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/india-s-geographical-indication-landscape